

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक २४ नवम्बर, 2023

विषय:-स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अलीगढ़ एवं बरेली शहरों हेतु केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश कुल धनराशि
रु0 196.00 करोड़ अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, स्मार्ट सिटी, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रों संख्या- K-15016/154(2)/2015-SC-I, दिनांक 07.11.2023 एवं संख्या- K-15016/154(2)/2015-SC-I, दिनांक 07.11.2023 तथा संख्या- K-15016/154(4)/2015-SC-I, दिनांक 07.11.2023 एवं संख्या-K-15016/154(4)/2015-SC-I, दिनांक 07.11.2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत अलीगढ़ एवं बरेली शहरों हेतु केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश, कुल धनराशि रु0 196.00 करोड़ (रूपये एक सौ छियानबे करोड़ मात्र) निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(धनराशि रु0 करोड़ में)

क्र0	स्मार्ट सिटी का नाम	केन्द्रांश		मैचिंग राज्यांश		योग
		प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	प्रोजेक्ट फण्ड	ए0एण्डओ0ई0	
1	अलीगढ़	46.50	02.50	46.50	02.50	98.00
2	बरेली	46.50	02.50	46.50	02.50	98.00
कुल योग						196.00

(रूपये एक सौ छियानबे करोड़ मात्र)

नियम व शर्त/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे स्मार्ट सिटी, अलीगढ़ एवं बरेली के एस0एन0ए0 एकाउन्ट में अन्तरित की जाएगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार प्रश्नगत धनराशि स्मार्ट सिटी, अलीगढ़ एवं बरेली द्वारा आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।
- (2) उक्त धनराशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्रों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार धनराशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
- (4) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।
- (5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो इसे भी नगर आयुक्त द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
- (6) उपरोक्त स्मार्ट सिटी के लिए अवमुक्त केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश की धनराशि का उपभोग के समय भारत सरकार की गाइड-लाइन्स का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- (7) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जाय।
- (8) निकाय द्वारा 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217050510111 (अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217050510111 अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)
		कुल		49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217050510114 (बरेली, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217050510114 बरेली, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)
		कुल		49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217050518911 (अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु)


	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217050518911 अलीगढ़, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)
		कुल		49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)

लेखाशीर्ष: 2217050518914 (बरेली, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु)

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 037	2217050518914 बरेली, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	35 पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान	49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)
कुल		49,00,00,000 (रुपये उनचास करोड़ मात्र)	
महायोग			1,96,00,00,000 (रुपये एक अरब छियानबे करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।


3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-9-334-X-2023-24, दिनांक- 28 नवंबर, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे

भूचदीय,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 87 /2023/भा0स0-158/नौ-9-2023-010-E-1662732, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (स्मार्ट सिटी), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
- 6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी, अलीगढ एवं बरेली।
- 10- एस0पी0वी0, अलीगढ एवं बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड।
- 11- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।